अध्याय – 4
ऋणों की वसूली

ऋणों की समय पर और प्रभावकारी वसूली किसी वित्तीयन कम्पनी के लिए इसकी धारणीयता हेतु महत्वपूर्ण है। वित्तीयन कम्पनी में गैर-निष्पादित परिसम्पत्तियों (एनपीए) का स्तर इसकी वित्तीय स्थिति और इसके मॉनिटरिंग तंत्र की प्रभावकारिता का महत्वपूर्ण सूचक है।

इरेडा के प्राप्यों के पुनर्भुगतान के लिए मांग पत्रों को माह, जिसमें तिमाही के लिए प्राप्य भुगतानयोग्य हैं, के पहले 10 दिनों के अन्दर प्रत्येक तिमाही में ऋणकर्त्ता को भेजा जाता है। इरेडा तिमाही आधार पर अपने निदेशक मंडल को स्ट्रेस्ड परिसम्पत्तियों और वसूली प्रास्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

4.1 गैर निष्पादित परिसम्पत्तियां (एनपीए)

इरेडा ऋण के रूप में एनपीए को परिभाषित करता है जहां:

- एक परिसम्पत्ति जिसके संबंध में ब्याज और/ या मूलधन दो तिमाहियो से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहा है;
- उस श्रृण ग्राहियों/लाभार्थी को उपलब्ध कराए गए ऋणों (प्रोदभूत ब्याज सहित) के अन्तर्गत बकाया शेष, जब इरेडा द्वारा वित्तपोषित कोई ऋण गैर निष्पादित परिसम्पत्ति हो जाता है।

एनपीएज को उस अवधि के आधार पर निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है जिसके लिए परिसम्पत्ति गैर-निष्पादित बनी रही और प्राप्यों की वास्तविकता बनी रही:

i. अवमानक परिसम्पत्ति-वह जो 18 माह से कम या बराबर की अवधि के लिए एनपीए बनी रही।

ii. संदेहास्पद परिसम्पत्ति –वह जो 18 माह से अधिक की अवधि के लिए अवमानक श्रेणी में बनी रही।

iii. घाटे की परिसम्पत्ति- वह परिसम्पत्ति जिसे अवसूलीयोग्य और इतने कम मूल्य का माना जाए कि बैंकयोग्य परिसम्पत्ति के रूप में इसकी स्थिति अधिपत्रित नहीं है यद्यपि यहां कुछ बचाव या वसूली मूल्य हो सकता है।

उपरोक्त प्रतिमानों को दिसम्बर 2008 में निर्धारित किया गया था और फिर अप्रैल 2013 में संशोधित किया गया था।

एनपीए को घटाने के लिए इरेडा ने ऋणों की अवधि के पुनर्निर्धारण/वापस माँगने, दुराग्रही चूककर्ताओ की पहचान, समापन याचिकाए दायर करने, एक बार में निपटान, नेगोशिएबल इन्सट्रुमेंट एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत आपराधिक शिकायतें दर्ज कराने और ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) आदि के माध्यम से सिक्योरिटाइजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्ट्रेस्टस (एसएआरएफएईएसआई) अधिनियम, 2002, के अन्तर्गत वसूली हेतु कार्रवाई जैसी विभिन्न नीतियों को अपना रहा है।

4.2 इरेडा में एनपीए की प्रास्थिति

मार्च 2013 को ₹ 254.80 करोड़ की कुल राशि वाले 59 ऋणकर्ता के संबंध में 67 परियोजनाओं को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

इरेडा के ऋण पोर्टफोलियों को नीचे वर्गीकृत किया गया है:

तालिका 4.1 : इरेडा का ऋण पोर्टफोलियो

₹ करोड़ में

क्रम सं;	विवरण	मार्च 2009	मार्च 2010	मार्च 2011	मार्च 2012	मार्च 2013
1.	ऋणों का वर्गीकरण					
(i)	मानक परिसम्पत्तियां	2199.63	2728.53	3222.27	4640.02	6341.91
(ii)	अवमानक परिसम्पत्तियां	69.84	75.60	12.02	124.67	19.03
(iii)	सन्देहास्पद परिसम्पत्तियां	268.68	175.86	168.55	143.23	235.73
(iv)	घाटा परिसम्पत्तियां	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04
2.	सकल एनपीए (ii)+(iii)+(iv)	338.57	251.50	180.61	267.94	254.80
3.	कुल बकाया ऋण	2538.20	2980.02	3402.88	4907.96	6596.72
4.	ऋण बकाया पर सकल एनपीए की प्रतिशतता	13.34	8.44	5.31	5.46	3.86
5.	एनपीए का प्रावधान	264.21	282.96	155.05	149.09	195.68

स्रोत: इरेडा की वार्षिक रिपोर्ट

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि इरेडा के मामलों में 2008-09 में कुल ऋणों पर सकल एनपीए 13.34 *प्रतिशत* था और इसके पश्चात वर्ष 2011-12, जिसमें यह सीमान्त रूप से बढ़कर 5.46 *प्रतिशत* हो गया था, को छोड़कर 2012-13 में इसने गिरावट का रूझान दर्शाया और 3.86 *प्रतिशत* तक कमी दर्शाई।

वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान ओटीएस वसूली सहित वसूली ₹ 34.38 करोड़ और ₹ 75.85 करोड़ थी, 2009-10 और 2010-11 में निष्पादन परिसम्पत्तियों का उन्नयन ₹ 51.69 करोड़ और ₹ 64.29 करोड़ था, जबकि बट्टे खाते में डाला गया बकाया ऋण 2008-09, 2009-10 और 2011-12 में क्रमश: ₹ 42.37 करोड़, ₹ 17.32 करोड़ और ₹ 23.88 करोड़ था। इस प्रकार, एनपीए में कमी का मुख्य कारण एनपीए मामलों का एकमुश्त में निपटान (ओटीएस), निष्पादित परिसम्पत्तियों का उन्नयन और खाता बही से बट्टे खाते में डाले गए बकाया ऋण थे।

4.3 अन्य विद्युत क्षेत्र वित्तीयन कम्पनियों के साथ एनपीए की तुलना

अन्य विद्युत परियोजना वितीयन कम्पनियों की तुलना में इरेडा में एनपीए की स्थिति को दर्शाते हुए तुलनात्मक विवरण को निम्नलिखित तालिका 4.2 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.2 विद्युत वित्त निगम लिमिटेड (पीएफसी), ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी) और इरेडा में एनपीए की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

₹ करोड़ में

वर्ष	पीएफसी		आरईसी		इरेडा	
	सकल एनपीए	बकाया ऋणों पर सकल एनपीए (%)	सकल एनपीए	बकाया ऋणों पर सकल एनपीए (%)	सकल एनपीए	बकाया ऋणों पर सकल एनपीए (%)
2008-09	13.16	0.02	68.89	0.14	338.57	13.34
2009-10	13.16	0.02	19.54	0.03	251.50	8.44
2010-11	230.65	0.23	19.54	0.02	180.61	5.31
2011-12	1358.00	1.04	490.40	0.48	267.94	5.46
2012-13	1135.00	0.71	490.40	0.39	254.80	3.86

स्रोत:पीएफसी, आरईसी और इरेडा की वार्षिक रिपोर्ट

इस प्रकार, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान जब इरेडा में एनपीएज 3.86 से 13.34 *प्रतिशत* के बीच थे तब यह आरईसी और पीएफसी में काफी कम थे।

प्रबंधन ने बताया (अप्रैल 2014) कि इरेडा की सकल एनपीए प्रतिशतता में 2012-13 में 13.34 *प्रतिशत* से 3.86 *प्रतिशत* के स्तर तक महत्वपूर्ण रूप से गिरावट आई जो इरेडा द्वारा निरंतर प्रयासों का परिणाम है। इरेडा अक्षय उर्जा परियोजनाओं के वितीयन में लगा है जोकि स्वरूप में उच्च जोखिम के है और इसलिए गैर-निष्पादित परिसम्पत्तियां अपरिहार्य घटना की स्थितियों और विनियामक मामलों आदि के कारण परियोजना के गैर प्रचालन जैसे कई कारकों के कारण उत्पन्न हो सकती है। मुख्यत: राज्ये/राज्य स्वाम्य वाले विद्युत बोर्डो आदि को ऋण देने वाले आरईसी और पीएफसी के साथ इरेडा की एनपीए प्रास्थिति पर लेखापरीक्षा द्वारा की गई तुलना उचित नहीं है क्योंकि पूर्ण रूप से पीएफसी और आरईसी दोनों के प्रचालन कार्य भिन्न है। दो सस्थाओं के बीच कोई तुलना केवल तब की जानी चाहिए यदि करोबार मॉडल/ ग्राहकगण समान है।

जैसाकि पहले व्याख्या की गई है एनपीएज में कमी मुख्यत: ओटीएस के कारण है; तथापि एनपीएज पीएफसी और आरईसी में एनपीएज की तुलना में अभी भी उच्चतर स्तर पर है।

4.4 एनपीएज का काल-वार विश्लेषण

31 मार्च 2013 को एनपीएज के काल-वार विश्लेषण को निम्नलिखित तालिका 4.3 में दिया गया है।

तालिका 4.3: एनपीएज़ का काल-वार विश्लेषण

₹ करोड़ में

31.3.2013 को कुल एनपीए (ऋणकर्त्ताओं की संख्या)	निम्नलिखित के लिए एनपीएज़					
	1 वर्ष से कम	1 -2 वर्ष	2-3 वर्ष	3-4 वर्ष	4-5 वर्ष	5 वर्ष और उससे अधिक
254.80 (59)	10.17 (4)	119.22 (9)	12.02 (3)	23.92 (3)	0.28 (2)	89.19 (38)
प्रतिशतता 100	3.90	46.80	4.70	9.40	0.20	35.00

टिप्पणी:कोष्ठक में दिए गए ऑकड़े ऋणकर्त्ताओं की संख्या को दर्शाते है

यह देखा गया कि लगभग आधे एनपीएज (46.80 *प्रतिशत*) अभी के है (1-2 वर्ष) और कुल एनपीएज का 35 *प्रतिशत* पांच वर्षों से अधिक पुराना है। जबकि इरेडा पर्याप्त प्रयासों से एनपीए मामलों को परिसम्पत्तियों में परिवर्तित कर सकता था फिर भी पांच वर्ष पुराने एनपीए की वसूली के जोखिम अधिक उच्चतर थे।

4.5 एनपीएज के प्रति वसूली

2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान एमएनआरई में हस्ताक्षर किए गए एमओयूज़ में यथा निर्धारित एनपीए की वसूली के लिए लक्ष्य और वास्तविक उपलब्धियों को निम्नलिखित तालिका 4.4 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.4: एमओयू में एनपीए की वसूली के लिए लक्ष्य और उपलब्धि

	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	
	टी	ए	टी	ए	टी	ए	टी	ए	टी	ए
एनपीए का स्तर (प्रतिशत)	16	13.28	13	8.44	10	5.31	7.22	4.38	4	3.86
एनपीए की वसूली (₹ करोड़ में)	50	62.25	70	107.73	87	63.64	-	-	40	12.91
एसएआरएफएइएसआई अधिनियम/बट्टे खाते में डाले गए/ओटीएस के तहत वसूली (₹ करोड़ में)	8	14.10	15	27.88	-	-	21	3.99	-	-

टी-लक्ष्य, ए-उपलब्धि

इस प्रकार, जबकि इरेडा 2008-09 और 2009-10 में एनपीए की वसूली लक्ष्य पार कर गया था इसने 2012-13 में लक्ष्य पूरा नहीं किया। 2008-09 और 2009-10 के दौरान की अधिक वसूली का मुख्य कारण क्रमश: ₹ 42.29 करोड़ और ₹ 26.64 करोड़ के ओटीएस की मंजूरी थी। एसएआरएफएइएसआई अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत वसूलियों के लिए 2011-12 में गिरावट आई थी और 2010-11 और 2012-13 के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे।

तथापि, लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि वार्षिक रिपोर्टों में दर्शाए गए वसूली के आँकड़ों ने एमओयू से अलग स्थिति दर्शायी जैसाकि निम्नलिखित तालिका 4.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.5 : वार्षिक रिपोर्ट से एनपीए आँकड़े

₹ करोड़ में

विवरण/वर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
अथ शेष	415.93	338.57	251.50	180.61	267.94
वर्ष के दौरान संवर्धन	0.59	57.79	12.02	120.96	20.66
कुल	416.52	396.36	263.52	301.57	288.60
घटा: (i) ओटीएस वसूली सहित वसूली (प्रतिशतता में)	**34.38**	**75.85**	**18.62**	**6.43**	**3.17**
	8.25	19.14	7.07	2.13	1.10
(ii) निष्पादित परिसम्पत्तियों का उन्नयन	1.19	51.69	64.29	3.32	19.97
(iii) बट्टे खाते में डाली गई परिसम्पत्तियां	42.37	17.32	0	23.88	10.66
अन्त शेष	338.57	251.50	180.61	267.94	254.80

एमओयू और वार्षिक रिपोर्ट में स्थिति को नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 4.6 : एनपीए की वसूली

₹ करोड़ में

एनपीए की वसूली	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
एमओयू के अनुसार रिपोर्टिंग	62.25	107.73	63.64	-	12.91
वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार	34.38	75.85	18.62	6.43	3.17

स्पष्ट रूप से एमओयू में वसूली आँकड़े अधिक बताए गए थे

4.6 एनपीए मामलों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ

जैसाकि पिछले तालिका 1.3 में चर्चा की गई है, लेखापरीक्षा ने विस्तृत जांच के लिए 11 एनपीए मामलों का चयन किया। सात मामलों पर अभ्युक्तियों पर नीचे चर्चा की गई है और मै. श्री वेंकटेस्वरा स्पॉज एण्ड पावर प्राईवेट लिमिटेड के एक मामले पर पहले ही पैरा 3.9.2 में चर्चा की गई

है। तीन मामलों में (अरूणाचलम शुगर मिल्स लिमिटेड, न्यू हॉरिजन शुगर मिल्स लिमिटेड और मॉडल चिट कार्पोरेशन लिमिटेड) कथित नीति से कोई विचलन नहीं देखा गया था।

4.6.1 इरेडा ने पेरियार जिला, तमिलनाडु में 1.98 एमडब्ल्यू की विंड फार्म परियोजना की स्थापना के लिए उपस्कर वित्पोषण योजना के अन्तर्गत **मै. जेन ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड** (परियोजना सं.529) को ₹ 5.94 करोड़ का ऋण मंजूर किया (अगस्त 1995)। ऋण के प्रति इरेडा ने अन्य दो परियोजना (परियोजना सं. 426 और 427) के प्रति ऋणकर्त्ता से प्राप्यों के समायोजन (₹ 0.71 करोड़) और इन दो परियोजनाओं में ऋणकर्त्ता के प्रति दो नेगोशिएबल इन्स्ड्रूमेन्टस एक्ट, 1881 के अन्तर्गत दायर की गई आपराधिक शिकायतों के वापस लेने के बाद फरवरी 1997 में ₹ 5.35 करोड़ की कुल राशि (अर्थात मंजूर ऋण का 90 *प्रतिशत*) का भुगतान किया था।

सभी तीन परियोजनाओं को इरेडा द्वारा 1997-98 में एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इरेडा ने वर्तमान परियोजना के लिए ₹ 8.35 करोड़ की राशि के लिए अगस्त 1999 में ऋणकर्त्ता को मांग नोटिस जारी किया और मई 2000 में डीआरटी, नई दिल्ली में सभी तीन परियोजनाओं (सं. 426, 427 और 529) के लिए ₹ 13.25 करोड़ हेतु वसूली कार्रवाई शुरू की। परियोजना सं-529 के प्रति ₹ 5.35 करोड़ की मूलधन राशि के प्राप्यों के प्रति इरेडा जनवरी 2007 तक केवल ₹ 2.42 करोड़ की वसूली कर सका था। इस प्रकार, इरेडा ऋणकर्त्ता (मार्च 2013) से ₹ 117.53 करोड़ (मूलधन ₹ 2.93 करोड़, ब्याज ₹ 101.54 करोड़ और अन्य प्रभार ₹ 13.06 करोड़) के अपने प्राप्यों की वसूल नहीं कर सका था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि इस परियोजना के प्रति ऋण के 90 *प्रतिशत* संवितरण के समय ऋणकर्त्ता ने इरेडा द्वारा वित्तपोषित दो अन्य विंड फार्म परियोजनाओं (परियोजना सं. 426 और 427) के संबंध में किस्तों का भुगतान न करने में पहले ही चूक की थी। तथापि, इरेडा ने इन परियोजनाओं के प्रति प्राप्यों के समायोजन के बाद भुगतान कर दिए थे यद्यपि, वितपोषण दिशानिर्देश इस संबंध में मौन थे।

प्रबंधन ने बताया (अप्रैल 2014) कि इस परियोजना में संवितरण करते समय परियोजना सं. 426 और 427 से संबंधित प्राप्यों को ऋणकर्त्ता के निवेदन के अनुसार समायोजित कर दिया गया था। आगे यह बताया गया कि परियोजना मंजूर की गई थी और संवितरण किया गया था जबकि विंड परियोजना के लिए प्रौद्योगिकी विकसित हो रही थी और विंड परियोजना का निष्पादन स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं था।

इस तथ्य के बावजूद कि अन्य दोनो परियोजनाएं पहले से ही चूक में थी, इस परियोजना के लिए ऋण देना एक अविवेकी निर्णय था।

4.6.2 रायचूर जिला, कर्नाटक में 6 एमडब्ल्यू के बायोमास आधारित विद्युत परियोजना (परियोजना स. 1469) की स्थापना के लिए 31 जुलाई 2001 को **मै. भाग्यनगर सोलवेंट एक्ट्रेक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड** को ₹ 16.95 करोड़ का आवधिक ऋण मंजूर किया गया था। ऋण करार को मार्च 2002 में कार्यान्वित किया गया था। कुल ऋण राशि का संवितरण कर दिया गया था और परियोजना को एक वर्ष के विलम्ब के बाद सितम्बर 2003 में शुरू किया गया था। ऋणकर्त्ता कम्पनी द्वारा ऋण के पुनर्भुगतान में चूक के कारण इरेडा ने मार्च 2007 में एनपीए के रूप में परियोजना को वर्गीकृत किया था। ऋणकर्त्ता ने केवल ₹ 1.09 करोड़ का भुगतान किया और इरेडा को सूचित किया (अक्तूबर 2006) कि इसने संयंत्र को बंद कर दिया था। इरेडा ने जून 2012 में ऋण को वापस मांगा[17] जिसमे ₹ 33.90 करोड़ की कुल राशि शामिल थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- ऋण करार के अन्तर्गत 'अन्य शर्तों' के खण्ड xxvii में अनुबद्ध किया गया कि ऋणकर्त्ता को वर्तमान परियोजना के लिए वित्तपोषण के साधनो और/या विद्यमान परियोजना के पर्याप्त विस्तारण के अतिरिक्त किसी दूसरे अतिरिक्त ऋण को लेने से पहले इरेडा की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। ऋणकर्त्ता ने इरेडा को कोई सूचना दिए बिना 6 एमडब्ल्यू से 11 एमडब्ल्यू तक संयंत्र की क्षमता को बढ़ा दिया (सितम्बर 2004) और मई 2005 में यूको बैंक से ₹ 13 करोड़ का अतिरिक्त ऋण ले लिया। यह इरेडा के ध्यान में तब आया जब ऋणकर्त्ता कम्पनी की स्थायी परिसम्पत्तियों पर समरूप प्रभार को सौपने के लिए ऋणकर्त्ता कम्पनी ने एनओसी हेतु इरेडा से सम्पर्क किया (मई 2005)। इरेडा ने परियोजना क्षमता को 6 एमडब्ल्यू से 11 एमडब्ल्यू तक बढाने का अनुमोदन दे दिया और ऋणकर्त्ता कम्पनी की स्थायी परिसम्पत्तियों पर समरूप प्रभार को सौंपने और विद्युत की प्राप्य राशियों तथा यूको बैंक के पास बिक्री प्राप्तियों को जमा करने के लिए निलम्ब लेखा/विशेष खाता खोलने के लिए एनओसी जारी कर दिया ।
- यद्यपि इरेडा के ऋण का पुनर्भुगतान सितम्बर 2005 से जून 2012 तक ऋणकर्त्ता द्वारा देय था, फिर भी परवर्ती ने ऋणों का भुगतान करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की और ऋण के पुननिर्धारण के लिए इरेडा से अनुरोध किया (अगस्त 2005)। इस अनुरोध को इरेडा द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था (सितम्बर 2005) जिससे ऋण पुनर्भुगतान को मार्च 2015 तक विस्तारित कर दिया गया था। तथापि, ऋणकर्त्ता ने आनुषंगिक सम्पति की बिक्री और अन्य राजस्वों के माध्यम से यूको बैंक के आवधिक ऋण का पुनर्भुगतान कर दिया था।
- जब इरेडा के अधिकारियों ने दिसम्बर 2007 में परियोजना स्थल का दौरा किया तब उन्होने पाया कि 8.70 एमडब्ल्यू की क्षमता वाली परियोजना प्रचालन में थी, यद्यपि पहले इसे बंद किया हुआ बताया गया था।

---

[17] *वापस मांगे गए ऋण में मूल धन, बयाज, अधिक देय ब्याज, निर्णीत हर्जाने, आकस्मिक प्रभार और अन्य प्रभार शामिल हैं।*

प्रबंधन ने बताया (अप्रैल 2014) कि ऋणकर्त्ता ने परियोजना परिसम्पत्तियों पर समरूप प्रभार सौंपने के साथ-साथ क्षमता बढ़ाने के लिए इरेडा से एनओसी मॉगा था। उक्त पर विस्तारित क्षमता के व्यवहार्य पहलु और कम किए गए टैरिफ को देखते हुए विचार किया गया था। यूको बैंक के ऋण का पुनर्भुगतान आनुषंगिक प्रतिभूति की बिक्री के रूप में और दूसरे स्रोतों के माध्यम से किया गया था। उक्त आनुषंगिक प्रतिभूति विशेष रूप से यूको बैंक के लिए प्रभारित की गई थी। इरेडा ने ऋण वापस मॉगा और एसएआरएफएईएसआई अधिनियम, 2002 के तहत कार्रवाई आरम्भ की तथा जून 2012 में नोटिस जारी किया। तथापि, गैर जमानती क्रेडिटर द्वारा समापन याचिका दायर करने के बाद आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने आधिकारिक परिसमापक नियुक्त किया जिसने परियोजना परिसम्पत्तियों को अधिकार में लिया। इसलिए, इरेडा एसएआरएफएईएसआई अधिनियम, 2002 के तहत शुरू की गई कार्रवाई जारी नहीं रख सका। उच्च न्यायालय द्वारा परिसम्पत्तियों की बिक्री हेतु पुनः कार्रवाई प्रगति में थी।

प्रबन्धन ने आगे बताया कि यूको बैंक भी कार्यरत पूंजीगत बैंकर था और इसलिए परियोजना से प्राप्त होने वाले राजस्वों पर पूरा नियंत्रण रख रहा था क्योंकि राजस्व की राशि तत्काल उनके खाता में जमा हो रही थी। यद्यपि यूको बैंक परियोजना की सभी परिसम्पत्तियों पर समरूप प्रभार और परियोजना की प्राप्य राशियों पर भी सहमत हो गया था परन्तु समरूप व्यवस्था का ठीक रूप से पालन नहीं किया था क्योंकि उन्होंने इरेडा के साथ उक्त का आनुपातिक रूप से शेयरिंग करने के बजाय परियोजना से उत्पन्न राजस्व से वसूले गए समस्त प्राप्यों को गलत रूप से समायोजित किया था। इसके अलावा, यूको बैंक ने डीआरटी, चेन्नई के समक्ष ऋणकर्त्ता के विरूद्ध वसूली मामला दायर किया जिसमे इरेडा पेश हुआ और इरेडा प्राप्यों के गलत समायोजन का विरोध किया गया। यूको बैंक का वसूली मामला डीआरटी, चेन्नई के पास लंबित था।

तथ्य यह है कि इरेडा ने परियोजना को प्रभावी रूप से मॉनीटर नहीं किया और यह ऋणकर्त्ता द्वारा किए गए परिवर्तनों से जागरूक नहीं था। इसके अलावा, इरेडा ने कम्पनी की परिसम्पत्ति पर समरूप प्रभार सौंपने के लिए यूको बैंक के पक्ष में एनओसी जारी किया तथा बिक्री प्राप्तियों को जमा करने के लिए यूको बैंक के पास एक निलम्ब खाता खोलने के लिए ऋणकर्त्ता को अनुमति भी दी। इसलिए, इरेडा ₹ 33.90 करोड़ की विचारणीय राशि वसूल नहीं कर सका जबकि दूसरा ऋणदाता, यूको बैंक उसी ऋणकर्त्ता से अपने प्राप्यों की वसूली करने में सफल हुआ।

4.6.3 इरेडा ने केरल में भूथाहनकेटटु में 16 एमडब्ल्यू की छोटी हाइड्रो परियोजना की स्थापना के लिए **मै. सिलीकल मेटलर्जिक लिमिटेड** को ₹ 24.85 करोड़ का ऋण मंजूर किया (नवम्बर 1995) और अप्रैल 1996 में ऋण करार तथा मालबंधन विलेख पर हस्ताक्षर किए। अगस्त 1998 तक ₹ 8.90 करोड़ की राशि का संवितरण किया गया था। परियोजना में अधिक समय लगा था और जनवरी 2000 के अन्त तक यह केवल 25 *प्रतिशत* प्रगति कर सकी थी, यद्यपि इसे मार्च 1998 तक पूरा किया जाना निर्धारित था। ऋणकर्त्ता कम्पनी ने सितम्बर 1998 से ऋण के पुनर्भुगतान में चूक करना शुरू कर

दिया था। परियोजना को मार्च 2000 में इरेडा द्वारा एनपीए के रूप में घोषित कर दिया था। इरेडा ने फरवरी 2000 में मांग नोटिस जारी कर दिया था और जुलाई 2001 में डीआरटी के पास मामला दायर किया। ब्याज और निर्णीत हर्जानों सहित ₹ 72.06 करोड़ की राशि जून 2009 तक ऋणकर्त्ता कम्पनी से वसूली हेतु लंबित थी। ओटीएस के माध्यम से राशि के निपटान के लिए कार्यवाही चल रही थी (मार्च 2013)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- इरेडा ने परियोजना का प्रत्यक्ष निरीक्षण किए बिना और ऋणकर्त्ता से परियोजना की बीमा पॉलिसी प्राप्त किए बिना भी ऋणकर्त्ता को ₹ 2 करोड़ के ऋण की पहली किस्त संवितरित की (मार्च 1997) यद्यपि ऋणकर्त्ता कम्पनी अर्थात संस्थानों/बैंको से एनओसी प्राप्त करना, इरेडा के पक्ष में अचल सम्पति को गिरवी रखना आदि की तरफ से विधि औपचारिकताएं जनवरी 2000 तक लम्बित थीं।
- मंजूरी की शर्तो में से एक यह थी कि ऋणकर्त्ता को गैर अधिकार खाता में मदवार व्यय को दर्शाने वाले और निधियों की उपयोगिता योजना के लिए विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने चाहिए। ऋणकर्त्ता को परियोजना की प्रत्यक्ष प्रगति की मदवार सूची प्रस्तुत कराना भी अपेक्षित था। तथापि, इरेडा द्वारा किसी संवितरण से पहले ऐसी कोई सूचना नहीं मॉगी गई थी।
- इरेडा ने 4 मार्च, 1998 को मॉनीटरिंग परामर्शदाता से प्राथमिक निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की जिसमें उजागर किया कि राज्य सरकार के सिंचाई विभाग को परियोजना के लिए अभी भूमि सौंपनी हैं तथापि ऋणकर्त्ता कम्पनी को अभी सिंचाई विभाग से मंजूरी प्राप्त करनी है और इसलिए परियोजना में 31 जुलाई 1997 से 31 जनवरी 1998 के मध्य तक कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई थी। ऋणकर्त्ता कम्पनी ने इरेडा से ऋण की ₹ 4.37 करोड़ की दूसरी किस्त निर्मुक्त करने के लिए अनुरोध किया था (मार्च 1998)। इरेडा ने मार्च 1998 में ₹ 4.35 करोड़ राशि निर्मुक्त कर दी थी जिसके परिणामस्वरूप ऋणकर्त्ता कम्पनी की तरफ से उपरोक्त अननुपालनों के बावजूद ₹ 6.35 करोड़ का संचयी संवितरण हुआ।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (अप्रैल 2014) कि इरेडा ने मार्च 1997 में अंतरिम संवितरण किया था जिसके अन्तर्गत इरेडा अनुमोदित नीति को गिरवी सृजन के लिए लम्बित रखा गया था। इरेडा निरीक्षण को छोड़ने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया गया था। इसके अलावा, कम्पनी ने यह पुष्टि करते हुए उपस्कर आपूर्तिकार से यह पत्र प्रस्तुत किया था कि वे समुद्री बीमा पॉलिसी लेंगे। कम्पनी ने मुख्य संयंत्रों के लिए बीमा पॉलिसियों की प्रतियां भी प्रस्तुत की थी। कम्पनी ने संवितरण के समय पर परियोजना में हुए व्यय के ब्यौरे देते हुए सनदी लेखाकार प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया था। प्रबंधक (तकनीकी अनुभाग) द्वारा जुलाई 1998 में परियोजना का दौरा किया गया था।

प्रबन्धन ने आगे बताया कि 31 मार्च 2000 को जब लेखा एनपीए हो गया था, तब परियोजना के लिए प्राप्य ₹ 8.90 करोड़ के बकाया मूलधन और ₹ 3.23 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 12.13 करोड़ थे। वर्तमान प्रास्थिति यह है कि कम्पनी की परिसम्पत्ति आधिकारिक परिसमापक के आधिपत्य में हैं।

प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वित्तीय दिशानिर्देशों में अंतरिम संवितरण से पहले प्रत्यक्ष निरीक्षण और परिसम्पित्तयों के गिरवी के सृजन और बीमा पॉलिसी को निर्धारित किया गया। अभिलेखों ने दर्शायाकि ऋणकर्त्ता द्वारा दूसरे संवितरण के समय तक बीमा पॉलिसी प्रस्तुत नहीं की गई थी।

4.6.4 मै. श्री सूर्यचन्द्रा सिनरजेटिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को आन्ध्र प्रदेश के राज्य में 1.70 एमडब्ल्यू प्रत्येक की दो छोटी हाइडेल परियोजनाओं (परियोजना सं. 1083 और 1092) की स्थापना के लिए ₹ 6.40 करोड़ और ₹ 6.30 करोड़ के दो आवधिक ऋणों को मंजूर किया गया था (अप्रैल 1999)। इरेडा के ऋण के पुनर्भुगतान में ऋणकर्त्ता कम्पनी द्वारा निरंतर चूक के कारण परियोजना को 2005-06 के दौरान एनपीए घोषित कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- परियोजना स. 1083 के अन्तर्गत ₹ 1.23 करोड़ और परियोजना स. 1092 के अन्तर्गत ₹ 1.08 करोड़ की राशि का भुगतान प्रत्यक्ष प्रगति का निरीक्षण, कृषि भूमि के गैर कृषि भूमि में रूपांतरण के लिए प्रमाणपत्र की प्राप्ति, व्यक्तिगत प्रतिभूति के निष्पादन, शेयर संवर्धकों की जमानत, एवं आनुषंगिक प्रतिभूतियों के गिरवी किए बिना अप्रैल 2000 में अंतरिम संवितरण के रूप में ऋणकर्त्ता कम्पनी को निर्मुक्त किया गया था।

- इरेडा ने परियोजना सं. 1083 एवं 1092 से संबधित ₹ 0.22 करोड़ की पुनभुगतान किस्त की राशि को ₹ 1.25 करोड़ एवं ₹ एक करोड़ की दूसरी अंतरिक संवितरण (मार्च 2002) से समायोजित किया। दूसरी किस्त का भुगतान भी शेयरों की जमानत की शर्त को पूरा करने, आनुषंनिक प्रतिभूतियों के गिरवी, कृषि भूमि के गैर कृषि भूमि में रूपांतरण से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए और परियोजना के उपस्कर और मशीनरी को बीमा के बिना ऋणकर्त्ता कम्पनी को कर दिया गया था।

- चूंकि ऋणकर्त्ता ने परियोजना के लिए भूमि को कृषि से गैर-कृषि भूमि में रूपांतरित करने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया था, इसलिए इरेडा ने एसएआरएफएइएसआई अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत ऋण की वसूली के लिए कार्रवाई आरम्भ करने का अवसर खो दिया। यह अधिनियम धारा 31(i) के माध्यम से कृषि भूमि पर ली गई किसी प्रतिभूति के लिए उधारदाता को सुरक्षा प्रदान नहीं करता।

इरेडा नें डीआरटी में ऋणकर्त्ता के प्रति वसूली कार्रवाई आरम्भ की (अगस्त 2011) और इरेडा के पास गिरवी रखी गई आनुषंगिक सम्पत्तियों के बिक्री के माध्यम से ₹ 2.90 करोड़ की राशि वसूली की गई थी। कुल ₹ 22.08 करोड़ की राशि दोनों परियोजनाओं के प्रति ऋणकर्त्ता कम्पनी से बकाया थी (सितम्बर 2013), जिसकी वसूली डीआरटी के समक्ष लम्बित थी।

4.6.5 इरेडा ने **मै. जीएसएल (इंडिया) लिमिटेड** को जिला जामनगर, गुजरात में 2 एमडब्ल्यू की पवन विद्युत परियोजना के प्रतिष्ठापन के लिए दिसम्बर 1993 में ऋणकर्त्ता को परियोजना की ₹ 8.59 करोड़ की कुल लागत के प्रति ₹ 6.44 करोड़ के ऋण को मंजूरी दी। इरेडा ने मार्च 1994 में ₹ 1.61 करोड़ का पहले अतंरिम संवितरण जारी किया और जून 1995 तक कुल ₹ 6.28 करोड़ वितरित किया था। ऋण को निदेशक[18] की व्यक्तिगत प्रत्याभूति, उत्तर दिनांकित चैकों, अचल सम्पत्तियों के गिरवी और चल सम्पत्तियों के मालबंधन द्वारा सुरक्षित किया गया था। इरेडा ने जुलाई 1998 में ऋणकर्त्ता को मांग नोटिस जारी किया था।

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

- इरेडा ने ₹ चार करोड़ मूल्य के दूसरे अंतरिम संवितरण राशि का भुगतान किया (जुलाई 1994) जिसके परिणामस्वरूप बिना प्रतिभूति के जुलाई 1994 तक अंतरिम संवितरण के रूप में ₹ 5.61 करोड़ का संचयी संवितरण हुआ।

- इरेडा ने उत्तर दिनांकित चैक (मई 1995) लेते हुए प्रतिभूति के अपने तरीके को शिथिल किया और अंतरिम ऋण को नियमित ऋण में परिवर्तित भी किया क्योंकि ऋणकर्त्ता कम्पनी गुजरात उर्जा विकास एजेंसी (जीइडीए) द्वारा आबंटित भूमि से संबधित समस्याओं के कारण प्रतिभूति औपचारिकताओं को पूरा करने की स्थिति में नही थी। तथापि, ऋणकर्त्ता की दूसरी भूमि/यूनिटों की प्रतिभूति को गिरवी रखने को जुलाई 2000 तक कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

- इरेडा ने मई 1995 में नामांकित निदेशक नियुक्त किया था। तथापि, ऋणकर्त्ता कम्पनी ने अपने बोर्ड में नामांकित निदेशक को नहीं रखा।

- चूंकि ऋणकर्त्ता ने 31 दिसम्बर 1994 से भुगतान में चूक की थी इरेडा ने ऋणकर्त्ता के अनुरोध (जून 1995) पर अगले संवितरण से मूलधन, ब्याज तथा अतिरिक्त ब्याज सहित ₹ 0.67 करोड़ की कुल अतिदेय राशि को समायोजित कर दिया।

ऋणकर्त्ता कम्पनी ने 1997-98 के दौरान यूनाइटेड इंडिया इश्योरेसं कम्पनी के पास ₹ 3.24 करोड़ के लिए दावा फाइल किया था क्योंकि परिसम्पत्तियों को चक्रवात में क्षति पहुची थी और इरेडा को बीमा पॉलिसी में सह-गिरवीदार होने के नाते दावे के हिस्से के रूप में केवल ₹ 0.72 करोड़ प्राप्त हुए

[18] *श्री आर. सी बगरोडिया*

(अगस्त 2001)। ऋणकर्त्ता कम्पनी को वर्ष 2000 में बीआईएफआर में पंजीकृत किया गया था। इरेडा ने चैकों को अस्वीकार करने के लिए ऋणकर्त्ता और उसके प्रोत्साहको के विरूद्ध आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी और ₹ 22.90 करोड़ के ब्याज और दूसरे प्रभारों सहित ₹ 6.90 करोड़ के मूलधन का दावा करने के लिए अगस्त 2004 में डीआरटी के समक्ष वसूली कार्रवाई भी दर्ज कराई थी।

ऋणकर्त्ता कम्पनी की परिसम्पत्तियों की बिक्री का मामला मै. एसेट्स रिकन्स्ट्रक्शन कम्पनी (इंण्डिया) लिमिटेड के पास लंबित था (अक्टूबर 2011) इसके बाद अभिलेख में कोई प्रगति नही पाई गई थी।

4.6.6 इरेडा ने **मै. केय पल्प एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड** को महाराष्ट्र में जिला सतारा में अपनी विद्यमान पेपर संयंत्र में 6 एमडब्ल्यू की खोई[19] आधारित सह-उत्पादन परियोजना के प्रतिष्ठापन के लिए मार्च 1999 में ऋणकर्त्ता ₹ 17.40 करोड़ की कुल परियोजना लागत के प्रति ₹ 13 करोड़ का ऋण मंजूर कर दिया । ऋण करार पर मार्च 1999 में हस्ताक्षर किए गए थे। इरेडा ने ऋणकर्त्ता को ₹ 13 करोड़ का संवितरण कर दिया था। ऋण को प्रात्साहक/निदेशकों[20] की व्यक्तिगत गारन्टियो और कॉरपोरेट गारन्टी द्वारा सुरक्षित किया गया। ऋणकर्त्ता कम्पनी को वर्ष 2002-03 में एनपीए घोषित कर दिया गया था और 22 अप्रैल 2003 को बीआईएफआर के पास पंजीकृत करा दिया गया था। ₹ 22.04 करोड़ के लिए प्रत्याह्वान नोटिस जून 2004 में जारी किया गया था।

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

- ऋणकर्त्ता ने विद्युत बिक्रियों से हुए संग्रहणों को जमा करने के लिए निलम्ब/नामित खाता नहीं खोला था जो इरेडा की देयताओं के प्रति भुगतान को सक्षम बनाता।
- राज्य बिजली बोर्ड (एसईबी) के साथ विद्युत खरीद करार पर सांवितरण से पहले हस्ताक्षर किया जाना था जिसमें विलम्ब हुआ और इरेडा द्वारा ₹ 1.50 करोड़ के तीसरे संवितरण तक अनुमति दी गई (नवम्बर 1999)।

ऋणकर्त्ता कम्पनी ने जून 2001 से इरेडा के प्राप्यों के भुगतान में चूक की थी। संयंत्र दिसम्बर 2003 से प्रचालन में नहीं था। कम्पनी को जनवरी 2007 में बीआईएफआर द्वारा रूग्ण घोषित किया गया था और इरेडा को पुनरूद्धार पैकेज को अन्तिम रूप देने के लिए प्रचालन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया था।

इरेडा ने ऋणकर्त्ता कम्पनी के प्रस्ताव पर ₹ 17.44 करोड के लिए ओटीएस को स्वीकार किया (मार्च 2008) जोकि अगस्त 2011 तक कार्यान्वयन हेतु लम्बित था। इसके पश्चात, लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से कोई अनुसरण नहीं देखा गया था।

---

[19] *खोई जूस निकालने के बाद गन्ने का बचा हुआ फाइबर अपशिष्ट है।*

[20] *श्री नीरज चन्द्र, श्री सुशील चन्द्र, सुश्री दीपा अग्रवाल और सुश्री उषा गुप्ता*

4.7 ऋण के एनपीए होने के कारण

पिछले पैराग्राफों में चर्चा किए गए एनपीए के मामलों के लेखापरीक्षा विश्लेषण के आधार पर उन सामान्य विचलनो जिनके कारण ऋण एनपीए बने की पहचान निम्नानुसार की गई है:

- परियोजना के अपेक्षित प्रत्यक्ष निरीक्षण जैसी निबंधन और शर्तों को छोड़ना;
- अपर्याप्त प्रतिभूति/गिरवी का सृजन, प्रतिभूति के तरीकों में ढ़िलाई;
- ऋणकर्ता के वर्तमान प्राप्यों के प्रति संवितरण का समायोजन;
- ऋणकर्ता कम्पनी और इसके टीआरए की स्थाई परिसम्पत्तियों पर सौंपा गया समरूप प्रभार;
- व्यक्तिगत गारन्टरों की निवल सम्पत्ति का निर्धारण न करना; और
- इरेडा से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने वाले ऋणकर्त्ताओं की अपर्याप्त निगरानी।

4.8 एकमुश्त निपटान (ओटीएस) योजना

वसूली स्तरों में सुधार करने और गैर-निष्पादित परिसम्पत्तियों (एनपीए) के स्तर को कम करने के लिए इरेडा समय-समय पर चूक किए गए ऋणों के एकमुश्त निपटान (ओटीएस) का आरम्भ कर रहा है। ओटीएस योजना के मुख्य उद्देश्य है: (क) एनपीए के निधियों के पुनर्चक्रण के उद्देश्य हेतु वसूली के अतिरिक्त मार्ग उपलब्ध करना और (ख) प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए न्यूनतम घाटे पर अधिकतम सम्भव सीमा तक इसके देय प्राप्यों की वसूली को सुनिश्चित करना। दिशानिदेशों के अनुसार, ओटीएस के लिए मूल पात्रता मानदण्ड निम्नानुसार है:

- खाता एनपीए है और/या
- ऋणकर्ता के विरूद्ध एक बाद मुकदमा दर्ज किया गया है (डिक्री या अन्यथा), और/या
- दीर्घावधि समस्याओं या उद्यम संबंधित समस्याओं के साथ सुसंगत वित्तीय वर्ष के अन्त में एनपीए होने हेतु सम्भावित मामलें, प्रतिभूति की वसूली के तार्किक अवसर निराशाजनक प्रतीत होते है, प्राथमिक/आनुषंगिक प्रतिभूतियां बकाया, को कवर करने के लिए अपर्याप्त है और कार्यान्वयन के अध्यधीन परियोजनाएं जो ऋणकर्ता के नियंत्रण से परे कारणों की वजह से विलम्बित/छोड़ी गई परियोजनाए हैं: और/या
- कम्पनी औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्सरचना बोर्ड (बीआईएफआर)/औद्योगिक एवं वित्तीय पुरर्सरंचना अपीलीय प्राधिकरण (एएआईएफआर)/ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी)/ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण (डीआरएटी)/सिक्योरिटाइजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एण्ड

एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट, 2002 (एसएआरएफएइएसआई) के दायरे में आती हैं और कोई स्वीकार्य पुनर्वास/पुनरूद्धार प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है; या

- यूनिट बंद पड़ी है और पुनर्सुधार की संभावना कम है; या
- कम्पनी आधिकारिक परिसमापक के दायरे में है और परिसमापक काफी समय लेगा; या
- दूसरे सस्थानों/बैकों ने ऋणकर्त्ता को ओटीएस मंजूर कर दिया है; या
- परियोजनाओं ने अपरिहार्य घटना और/या प्राकृतिक आपदा का सामना किया है और खाता के पुनरूद्धार/नियमत्तीकरण की संभावना दूरस्थ है।

इसके अलावा, चूकें स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए।

4.9 एकमुश्त निपटान (ओटीएस) योजना के माध्यम से बंद की गई परियोजनाएं

इरेडा की ओटीएस नीति की समीक्षा से पता चला कि यह निर्धारित समय सीमा के बिना निरंतर प्रचालित होने वाली एक चालू योजना थी जो इसके ऋणकत्ताओं के मध्य भुगतान न करने की प्रवृति को बढ़ा सकती थी। लेखापरीक्षा ने पुनः देखा कि आरईसी और पीएफसी जैसी दूसरी विद्युत वित्तीयन कम्पनियों में चालू ओटीएस योजनाएं नहीं है।

इरेडा ने 2008-09 से 2012-13 के दौरान ओटीएस के तहत 29 मामलें (अनुबंध V) निपटाए। ओटीएस मामलों की क्षेत्रवार संख्या और मामलों कें कुल संख्या की प्रतिशतता को तालिका 4.7 में दर्शाया गया है। अधिकतम (35 *प्रतिशत*) ओटीएस मामले विंड सैक्टर में थे जो कुल बकाया प्राप्यों का 29.52 *प्रतिशत* थे।

तालिका 4.7 विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत ओटीएस परियोजनाएं

क्षेत्र	विंड	वेस्ट टू एनर्जी	सौर	स्माल हाइड्रो	सह-उत्पादन	ब्रिकेटिंग*	बायोमास
ओटीएस के अन्तर्गत परियोजनाओं की संख्या	10	3	4	2	3	4	3
कुल ओटीएक्स मामलों का *प्रतिशत*	35	10	14	7	10	14	10

* *ब्रिकेटस कृषि अवशेषों से बनाई जाती है जिनमें लकड़ी, लकड़ी के अवशेष, घास, खाद, गन्ना, धान की भूसी और विभिन्न कृषि प्रक्रमों से प्राप्त अन्य उप-उत्पाद शामिल है।*

इन 29 मामलों में मूलधन और ब्याज आदि के कारण वसूली हेतु देय राशि ₹ 446.70 करोड़ थी जिसमें से ₹ 208.85 करोड़ की वसूली ओटीएस के माध्यम से की गई थी, जिसका ब्यौरा नीचे तालिका 4.8 में दिया गया है:

तालिका 4.8 ओटीएस योजना के अन्तर्गत निपटान की गई राशि

कुल देय राशि (₹ लाख में)				ओटीएस के अन्तर्गत निपटान की गई कुल राशि (₹ लाख में)				हानि (₹ लाख में)	हानि की प्रतिशतता
मूलधन	ब्याज	अन्य	कुल	मूलधन	ब्याज	अन्य	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (4-8)	10 (9/4*100)
18117.22	22239.55	4313.60	44670.37	17316.64	3533.57	34.66	20884.87	23785.40	53.25

इस प्रकार, इरेडा ने ओटीएस के कारण अपनी प्राप्यों के आधे से अधिक की हानि उठाई। इसमें से ₹ आठ करोड़ मूलधन के कारण, ₹ 187.06 करोड़ ब्याज के कारण और ₹ 42.79 करोड़ निर्णीत हर्जानों, आकस्मिक प्रभारों आदि जैसे अन्य प्राप्यों के कारण थे।

4.10 ओटीएस मामलों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ

लेखापरीक्षा ने ओटीएस के अन्तर्गत संसाधित किए गए 29 मामलों में से 17 मामलों/परियोजनाओं की जांच की जिन्हें ऋण की मूलधन राशि की हानि/वसूली न करने की उच्चतर राशि के आधार पर चयनित किया गया था, जिसमें ओटीएस के तीन मामले[21] शामिल है जहां ब्याज/मूलधन सब्सिडी शामिल थी। 12 मामलों से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों की व्याख्या आगामी पैराग्राफों में की गई है। दो मामलों (मै. जी के बायो एनर्जी लिमिटेड और मै. एचसीएल एग्रो पावर लिमिटेड) से संबंधित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर चर्चा अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सब्सिडी पर अध्याय 5 में की गई है। तीन मामलों में कोई विचलन नहीं देखे गए थे।

4.10.1 श्री वासावी ग्रुप

इरेडा ने आन्ध्रप्रदेश के राज्य में विभिन्न कम्पनियों के नामों पर विंड, सोलर फोटोवोल्टिक और बायोमास विद्युत परियोजनाओं के लिए श्री वासावी ग्रुप के साथ कई करार किए जिनका ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

---

[21] *मै. पूर्ति शक्कर कारखाना लिमिटेड, मै. जी के बायो एनर्जी लिमिटेड और मै. एचसीएल एग्रोपावर लिमिटेड*

तालिका 4.9: ओटीएस योजना के अन्तर्गत श्री वासावी ग्रुप

₹ करोड़ में

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	परियोजना नं.	क्षेत्र	करार की तारीख	क्षमता (मे. वा)	मंजूर राशि	चूक/एनपीए की तारीख	ओटीएस की तारीख	कुल देय राशि	वसूली
1	मै. सरिता सॉफ्टवेयर एण्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	985	विंड	28.08.1998	2	5.65	31.12.2000	25.10.2008	18.79	4.04
2	मै. सरिता स्टील एण्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	986	विंड	28.08.1998	2	5.65	30.06.2000	25.10.2008	12.54	2.86
3	मै. श्री वासावी इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	987	विंड	28.08.1998	2	5.65	30.09.1999	25.10.2008	18.72	4.28
4	मै. सरिता स्टील एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड	1014	सोलर फोटो-वोल्टिक	03.12.1998	6300 (सोलर लालटेन)	4.87	31.12.2000	25.10.2008	1.47	1.47
5	मै. मनसा इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	1051	विंड	18.02.1999	2	5.90	31.12.1999	25.10.2008	16.07	3.00
6	मै. एसएमएल डाइटैक्स प्राइवेट लिमिटेड	1058	विंड	12.02.1999	2	5.90	30.09.1999	25.10.2008	15.96	3.00
7	मै. एसवीआर केबिल्स प्राइवेट लिमिटेड	1059	विंड	24.03.1999	2	5.90	30.09.1999	25.10.2008	16.08	2.99
8	मैं. सरकार्स पावर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	1227	बायोमास	13.10.1999	6	18.27	30.06.2001	18.09.2008	30.53	9.87
जोड़						**57.79**			**130.16**	**31.51**

जैसाकि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, मूलधन, ब्याज, निर्णीत हर्जाने और अन्य प्रभारों के कारण श्री वासावी ग्रुप की चूक कर्ता कम्पनियों से वसूली हेतु देय ₹ 130.16 करोड़ की कुल राशि के प्रति इरेडा मूलधन के कारण देय ₹ 31.11 करोड़ की पूर्ण राशि सहित ओटीएस के माध्यम से केवल ₹ 31.51 करोड़ की वसूली कर सका था। ब्याज के कारण देय ₹ 77.11 करोड़ में से केवल ₹ 0.10 करोड़ वसूल किए जा सके थे जबकि निर्णीत हजार्ने/अन्य प्रभारों के कारण वसूली हेतु देय ₹ 21.94 करोड़ में से मात्र ₹ 0.30 करोड़ वसूल किए जा सके थे।

लेखापरीक्षा ने ओटीएस और वित्तपोषण दिशा निर्देशों से विचलनों से निम्नलिखित मामलें देखे:

- यद्यपि मूल योग्यता मानदण्डों में से एक यह था कि चूकें स्वेच्छाचारी नहीं होनी चाहिए, फिर भी उपरोक्त ऋणकत्ताओ (मै. सरिता स्टील मिल्स लिमिटेड और मैं. सरकार्स पावर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड को छोड़कर), के बकाया प्राप्यों को इरेडा द्वारा पहले ही स्वेच्छाचारी चूककर्त्ताओं के रूप में वर्गीकृत गया गया है, जिनका निपटान ओटीएस के माध्यम से किया गया था।

- वित्तपोषण दिशानिर्देशों के अनुसार अन्तरिम ऋण का भुगतान अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्यक्ष निरीक्षण के आधार पर परियोजना की प्रगति के अध्यधीन होगा। तथापि, अन्तरिम ऋण के भुगतान से पहले किए गए प्रत्यक्ष निरीक्षण का कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपरोक्त आठ मामलों में से किसी के अभिलेखों में उपलब्ध नही था।

- मैं. सरकार्स पावर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड (ऋणकर्त्ता) को परियोजना के ऋण प्रस्ताव को 17 सितम्बर 1999 को आयोजित बीओडी की बैठक में अनुमोदन के लिए रखा गया था जिसमें बीओडी को यह सूचना दी गई कि उसी ग्रुप की अन्य तीन कम्पनियां[22] इरेडा द्वारा पहले से मंजूर किए गए ऋणों के प्राप्यों के भुगतान में नियमित थी। तथापि यह देखा गया कि सभी तीन कम्पनियों के संबंध में तथा पुनभुर्गतान की पहली किस्त उपरोक्त बीओडी बैठक की तारीख पर देय नहीं थी। इन तीनों कम्पनियों की प्रत्येक की पहली किस्त 30 सितम्बर 1999 को देय थी और प्रस्तुत किए गए संबंधित चैकों को सभी तीन के संबंध में बिना भुगतान किए लौटा दिया गया था। इस प्रकार, बोर्ड को ग्रुप में अन्य कम्पनियों के पुनर्भुगतान की प्रास्थिति के बारें में सही सूचना नहीं दी गई थी।

- श्री जी एश्वरा राव, प्रोत्साहक/निदेशक की वैयक्तिक प्रत्याभुति इरेडा द्वारा उपरोक्त आठ मामलों में से पांच[23] में मंजूर किए गए ऋण हेतु स्वीकार की गई थी। सभी पांच मामलों में वैयक्तिक प्रत्याभूति 31 मार्च 1999 को ₹ 16.55 करोड़ की निवल संपत्ति दर्शाते हुये सनदी लेखाकार फर्म द्वारा प्रमाणित विवरण प्रस्तुत करते हुए दी गई थी। तथापि इरेडा ने स्वंतत्र रूप से प्रत्याभूतिदाता की सम्पत्ति का कोई मूल्यांकन नहीं किया था। तत्पश्चात्, जब ये पांच ऋणकर्त्ता चूककर्त्ता साबित हुए तब उसी सनदी लेखाकार फर्म द्वारा यथा प्रमाणित अपनी ऋणात्मक सकल

---

[22] *मैं.श्री वासावी इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, (परियोजना सं. 987) मै. श्री सरिता सॉफ्टवेयर एण्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड (परियोजना सं. 985) (पहले मै. सरिता सिन्थेटिक एण्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) और मै. सरिता स्टील एण्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड (परियोजना सं. 986)*

[23] *मैं. सरिता सॉफ्टवेयर एण्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, (परियोजना सं. 985) मैं. श्री सरिता स्टील एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (परियोजना सं. 986) मै. श्री वासावी इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, (परियोजना सं. 987) मै. सरिता स्टील मिल्स लिमिटेड (परियोजना सं. 1014) और मैं. सरकार्स पावर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, (परियोजना सं. 1227)।*

सम्पत्ति के कारण श्री जी एश्वरा राव द्वारा प्रस्तुत की गई वैयक्तिक प्रत्याभूति ₹ (-) 98.48 करोड़ (मार्च 2007) से कोई वसूली नहीं की जा सकी थी।

- ऋणकर्त्ता कम्पनी की सभी अन्य परिसम्पत्तियों (चल और अचल) पर दूसरा प्रभार केवल मै. सरिता स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मामले में सृजित किया गया था, यद्यपि यह मै. सिरकर्स पावर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मामले जिससे इरेडा ने लोन राशि के 10 प्रतिशत के लिये साख-पत्र/निलंब लेखा और एफडीआर पर पहला प्रभार प्राप्त किया था, को छोड़कर सभी मामलों में अपेक्षित था।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (सितम्बर 2013 और अप्रैल 2014) कि निरीक्षण के लिए छोड़ने का अनुमोदन पहले संवितरण के लिए सक्षम प्राधिकरण से लिया गया था। इसके अलावा, ओटीएस पॉलिसी के अनुसार स्वेच्छाचारी चूककर्त्ता निपटान के लिए पात्र नहीं है। उस सीमा तक श्री वासावी पर विचार करते हुए ओटीएस प्रस्ताव इरेडा की अनुमोदित पॉलिसी में विचलन में था। तथपि, इरेडा की निपटान सलाहकार समिति (एसएसी) ने सितम्बर 2008 की अपनी बैठक में विचार किया कि घाटे की परिसम्पत्तियों से वसूली के हित में ओटीएस पर बीओडी के अनुमोदन के अध्यधीन विचार किया जा सकता है। यह महसूस किया गया कि विधिक माध्यम से वसूली न केवल अधिक समय लेने वाली होगी बल्कि इरेडा को धन की बराबर की मात्रा भी प्राप्त नहीं हो सकेगी। प्रबंधन ने आगे बताया कि बीओडी बैठक की तारीख पर कोई प्रप्य, भुगतानयोग्य नही था जब ऋणकर्त्ता का प्रस्ताव बीओडी को प्रस्तुत किया गया था। प्राप्यो की पहली किस्त 30 सितम्बर, 1999 को देय थी और संबंधित चैकों को इसके बाद संग्रहण के लिए भेजा गया था। इस प्रकार, बीओडी को गलत सूचना नहीं दी गई थी। किसी संस्थान में प्रचलित प्रणाली यह है कि सनदी लेखाकार द्वारा यथावत प्रमाणित वैयक्तिक प्रत्याभूति दाता की निवल सम्पत्ति प्राप्त की जाती है। इरेडा में भी इसी प्रणाली का पालन किया जा रहा है।

प्रबंधन के उत्तर को इस परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि निधियन दिशानिर्देशो में निर्धारित किया गया है कि परियोजना का प्रत्यक्ष निरीक्षण ऋणकर्त्ता को अन्तरिम ऋण के संवितरण से पहले किया जाएगा। इसके अलावा, सनदी लेखाकार द्वारा यथावत प्रमाणित प्रत्याभूतिदाता की निवल सम्पत्ति के आधार पर ऋण मंजूरी की प्रणाली पर्याप्त नहीं थी क्योंकि इरेडा यह जांच करने में विफल रहा कि उसी प्रत्याभूति दाता ने दूसरे ऋणों के लिए भी प्रत्याभूतिंया दी है। लेखापरीक्षा को इरेडा में प्रचलित किसी तंत्र का पता नही चला जिसके माध्यम से प्रत्याभूतिदाता की वास्तविक निवल सम्पत्ति को ऋण की अवधि के दौरान सुनिश्चित किया जा सकता था जिससे कि इसके आवाहन के समय पर वैयक्तिक प्रत्याभूतियों की वास्तविकता को सुनिश्चित किया जा सके। अन्त में, प्रबंधन द्वारा बीओडी को दिया गया यह विवरण कि ऋणकर्त्ता प्रप्यो के पुर्नभुगतान में नियमित थे, सही नहीं था क्योंकि बीओडी बैठक की तारीख पर कोई प्रप्य भुगतान योग्य नहीं था।

4.10.2 मै. पूर्ति शक्कर कारखाना लिमिटेड

मै. पूर्ति शक्कर कारखाना लिमिटेड (पीएसकेएल) को नागपुर, महाराष्ट्र में 22 एमडब्ल्यू की खोई आधारित सह-उत्पादन परियोजना की स्थापना के लिए इरेडा द्वारा ₹ 48.65 करोड़ का अवधि ऋण

मंजूर किया गया (मार्च 2002)। ₹ 48.65 करोड़ में से ₹ 45.50 करोड़ की राशि को परियोजना के प्रति मंजूर कर दिया गया और शेष ₹ 3.15 करोड़ बैंक गारंटी (बीजी)/फिक्स्ड डिपोजिट प्राप्तियों (एफडीआर) की मार्जिन राशि के लिए मंजूर किए गए ऋणकर्त्ता कम्पनी के प्रोत्साहक और/या निदेशक[24] ने ऋण के लिए अपनी वैयक्तिक प्रत्याभूति दी थी। परियोजना 18 मार्च 2007 को शुरू कि गई और मामले को 31 मार्च 2007 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था।

मामला अभिलेखों की लेखापरीक्षा संमीक्षा से पता चला कि:

- इरेडा ने ऋणकर्त्ता के अनुरोध पर ₹ 14.50 करोड़ के अन्तरिम ऋण की ₹ 10.25 करोड़ की पहली किस्त (मार्च 2003) और 4.25 करोड़ की दूसरी किस्त (जुलाई 2003) का संवितरण कर दिया था जोकि वित्तिय दिशानिर्देशों (मई 2001) के उल्लंधन करते हुये मंजूर किए गए ऋण के 25 *प्रतिशत* से अधिक था।

- एक नामांकित निदेशक को पहले संवितरण के पांच माह के बाद इरेडा द्वारा नियुक्त (सितम्बर 2003) किया गया था। तथापि ऋणकर्त्ता कम्पनी ने मार्च 2004 में उसे अपने बोर्ड में रखा लेकिन वह विलम्ब से सूचना प्राप्ति के कारण अक्टूबर 2004 तक ऋणकर्त्ता कम्पनी की किसी बैठक में भाग नही ले सका था, तत्पश्चात् इरेडा ने दूसरे निदेशक को नियुक्त किया था।

- पहले संवितरण के बाद (मार्च 2003) ऋणकर्त्ता की वित्तीय स्थिति अस्थिर प्रतीत हुई क्योंकि ऋणकर्त्ता में से एक ने (मैं केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड) ₹ 1.50 करोड़ तक की सीमा तक मै. पीएसकेएल की देयताओं को मंजूर करने के लिए इरेडा से सीधे अनुरोध किया था।

- यद्यपि ऋणकर्त्ता कम्पनी के दूसरे उधारदाता अर्थात सहकारी बैंक संघ और स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर ने अक्टूबर 2006 में बैठक में इरेडा को सूचना दी कि उन्होंने ऋणकर्त्ता के खाता को एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया है फिर भी इरेडा ने परियोजना को पूरा करने के लिए ऋणकर्त्ता को सुविधा देने हेतु अपने ऋणों का पुननिर्धारण किया (अक्टूबर 2006)। परियोजना को मार्च 2007 मे शुरू किया गया था और उसी माह में इरेडा ने ऋण को एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया था।

- ऋणकर्त्ता ने ट्रस्ट एण्ड रिटेन्शन एकाऊन्ट (टीआरए) में उत्पादित विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व को जमा नही किया था, जैसाकि प्रतिबद्धता की गई थी, जो ऋण के पुनर्भुगतान को सुनिश्चित करेगा क्योंकि इरेडा के पास खाते पर पहला अधिकार था। तथापि, ऋणकर्त्ता की तरफ से अननुपालन पर इरेडा द्वारा ध्यान नहीं दिया गया था। ऋणकर्त्ता ने इरेडा के विद्युत परियोजना के एकमात्र वित्तपोषक होने और 2008-09 से 2009-10 के दौरान संयंत्र से उत्पादन की गई विद्युत की बिक्री द्वारा अर्जित राजस्व पर पहला अधिकार होने के बावजूद इरेडा को केवल ₹ 1.45 करोड़ का भुगतान और दूसरे उधारदाताओं को ₹ 5.37 करोड़ का भुगतान किया गया था।

[24] *श्री नितिन जयराम गडकरी, श्री जयकुमार रमेश जी वर्मा, श्री अनन्द्रो मोतीरात रावत, श्री आस्तिक जंगलु सहारे और श्री विष्णु गोविंद चोरघडे*

- जनवरी 2007 से जून 2007 की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट में समवर्ती लेखापरीक्षक ने बताया (अक्टूबर 2007) कि ऋणकर्ता ने इरेडा के अनुमोदन के बिना समान राशि के प्रप्यो के प्रति ओटीएस के माध्यम से ₹ 42 करोड़ पर संघ बैंक के साथ दूसरे अवधि ऋण का निपटान पहले ही कर दिया था। विद्युत की बिक्री प्राप्तियों के प्रति ₹ 15 करोड़ के अग्रिम जिस पर इरेडा का पहला अधिकार था, में से ₹ 10.67 करोड़ का भी संघ बैंक के साथ ओटीएस निपटान के अदायगी में भी उपयोग किया गया था।

- ओटीएस के परिणाम के रूप में इरेडा ऋणकर्ता से वसूलीयोग्य ₹ 84.12 करोड़ में से केवल ₹ 71.35 करोड़ वसूल कर सका था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 12.77 करोड़ का अधित्याग हुआ।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2013) कि इरेडा ने परियोजना को पूरा करने के लिए ऋणकर्ता की सहायता करने के लिए ऋण का पुनर्निर्धारण किया था जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि परियोजना परिसम्पत्तियां निर्माण स्थल पर उपलब्ध थीं और केवल परियोजना के शुरू होने के बाद इसलिये मंजूर किए गए अवधि ऋण की वसूली की संभावना बेहतर होगी। दूसरे ऋणदाताओ के साथ ओटीएस करने के संबंध में ऋणकर्ताओ के साथ-साथ उधारदाता इरेडा से अनुमति लिए बिना निपटान पर बातचीत के लिए स्वतंत्र है क्योंकि निर्णय बैंको/संस्थानों के संबंधित प्रबंधन द्वारा लिया जाना है। सह-उत्पादन परियोजना का निधीयन संघ वित्तपोषण तरीके से नहीं किया गया था। टीआरए के प्रचालन न करने के संबंध में मामले को मार्च 2005 में बैंक और कम्पनी के साथ लिया गया था।

प्रबंधन ने आगे यह बताया गया (अप्रैल 2014) कि ₹ 14.50 करोड़ का कुल संवितरण बैंक गारन्टी राशि के प्रति भुगतान की गई ₹ 3.15 करोड़ की राशि सहित पहले और अन्तिम संवितरण के रूप में किया गया था।

प्रबंधन ने यह भी बताया कि ऋणकर्ता ने मै. पूर्ती शक्कर कारखाना लिमिटेड की ऊर्जा परियोजना के प्रति की गई आपूर्तियों के लिए नागपुर फाऊन्ड्री लिमिटेड, जिसका मै. केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था, द्वारा उदभूत किए गए बिलों की संख्या के कारण मै. केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड के प्रति सीधे ₹ 1.50 करोड़ की राशि के भुगतान हेतु अनुरोध किया। इसलिए, उक्त संवितरण परियोजना प्रोत्साहक द्वारा स्थापित परियोजना के प्रति था और यह एक सामान्य पद्धति है कि इरेडा ने उनकी सहमति लेने के बाद आपूर्तिकार को सीधे भुगतान किया था।

प्रबंधन ने यह भी उल्लिखित किया कि बिक्री प्राप्तियों में से टीआरए लेखा से किए गए भुगतानों का सहउत्पादन संयंत्र के प्रचालन के लिए ईधन आदि की खरीद के प्रति दूसरी देयताओं के भुगतान हेतु ऋणकर्ता द्वारा उपयोग किया गया था। इसके अलावा, संयंत्र के वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य प्रचालन के मद्देनजर नीतिगत निवेशक के माध्यम से ऋणकर्ता द्वारा निधियों के अनुमान के माध्यम से निपटान करना गैर निष्पादक परिसम्पत्तियों से वसूली में इरेडा के लिए वाणिज्यिक रूप से विवेकपूर्ण विकल्प था। ओटीएस ने बकाया मूलधन और ब्याज प्रप्यों की आंशिक वसूली की 100 *प्रतिशत* सुनिश्चिता दी।

प्रबंधन का यह तर्क स्वीकार्य नही कि ₹ 14.50 करोड़ मूल्य की पहली और दूसरी अन्तरिम संवितरण किस्त में से ₹ 3.15 करोड़ के बीजी तत्व परियोजना लागत के प्रति संवितरण का भाग नहीं थे क्योंकि बीजी मार्जिन धन के प्रति भुगतान किया गया धन भी ऋण का भाग है। यह अगस्त 2003 के इसके तकनीकी डिवीजन की टिप्पणियों से प्रमाणित है जो बताती है कि मंजूर ऋण बीजी/एफडीआर के लिए मार्जिन धन के साथ साथ परियोजना लागत के प्रति दोनों सहित है। इसलिए कुल ऋण के 25 *प्रतिशत* सीमा को बढ़ा दिया गया था। पीएसकेएल परियोजना के प्रति की गई आपूर्तियों के लिए मै. केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड के प्रति सीधे ₹ 1.50 करोड़ के भुगतान के संबंध में लेखापरीक्षा इससे सहमत नहीं है कि तीसरे दल को प्रत्यक्ष रूप से भुगतान करना एक सामान्य पद्धति है जिसके साथ इरेडा का सीधा सम्पर्क नहीं हैं। इरेडा का उत्पादित विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व पर पहला अधिकार है जिसे टीआरए में रखा गया था। इसलिए, इरेडा की बजाए दूसरे ऋणदाता को टीआरए से किसी भुगतान के लिए इरेडा की अनुमति आवश्यक होगी। उसी रूप में, प्रबंधन का यह तर्क कि ऋणकर्त्ता और दूसरे ऋणदाता, इरेडा की अनुमति लिए बिना निपटान पर बातचीत के लिए स्वंतत्र थे, मान्य नहीं है।

4.10.3 मै. जैन फार्मस एडं रिजॉर्टस लिमिटेड

मैं. जैन फार्मस एण्ड रिजॉर्टस की तमिलनाडु में तिरूनेलवेली में 1.10 एमडब्ल्यू की विंड विद्युत परियोजना के लेने के लिए ₹ 2.15 करोड़ के ऋण की मंजूरी दी गई थी (अगस्त 1996)। ऋण को प्रोत्साहको/निदेशकों[25] की वैयक्तिक प्रत्याभूति सहित ऋणकर्त्ता कम्पनी की अचल परिसम्पत्तियों और चल परिसम्पत्तियों के बंधक बनाने तथा गिरवी के प्रति संरक्षित किया गया था।

परियोजना ऋण की मंजूरी के समय पर प्रचालन में थी (अगस्त 1996) किन्तु यह प्रप्यो के निपटान के लिए ट्रेड पार्टियों के साथ ऋणकर्त्ता कम्पनी के मध्य विवाद के कारण फरवरी 1997 और मार्च 2000 के बीच निष्क्रिय रही थी। इसके पश्चात 2000-01 में विद्युत उत्पादन में कमी आई और तत्पश्चात उत्पादन बंद हो गया। ऋणकर्त्ता कम्पनी ने मार्च 1998 से, जब पहली किस्त देय थी इरेडा के ऋण के पुनर्भुगतान में चूक की। इरेडा ने ऋणकर्त्ता के अनुरोध पर विचार करते हुए ओटीएस के माध्यम से मामले के निपटान का अनुमोदन कर दिया था (सितम्बर 2009)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- ₹ 1.93 करोड़ का पहला संवितरण परियोजना के निरीक्षण के बिना किया गया था (मार्च 1997)।
- इरेडा के वर्तमान वित्तपोषण दिशानिर्देशों के अनुसार केवल वह आवेदक, जोकि ऋण आवेदन की निविदा की तारीख पर संचित हानि घाटे में नही थे और प्रचालन के तत्काल पिछले वर्षो में लाभ अर्जित किया था, इरेडा से वित्तीय सहायता के लिए पात्र थे। यद्यपि, ऋणकर्त्ता कम्पनी ने 1994-95 के दौरान ₹ 0.06 करोड़ की हानि उठाई थी। परियोजना प्रस्ताव को ₹ 1.37 करोड़ के लाभ को दर्शाते हुए सितम्बर 1995 को समाप्त छः माह की अवधि के लिए ऋणकर्त्ता कम्पनी के लेखापरीक्षा ने किए गए खातों के आधार पर वित्तपोषण के लिए पात्र बताया गया था।

---

[25] *श्री के मंगल चंद जैन, श्री बी. महेंद्र कुमार और श्री. वी. के. पदमनाभन*

- ऋणकर्त्ता कम्पनी ने मार्च 1996 में उसी परियोजना के लिए ऋण हेतु इरेडा से आग्रह किया था जिसे बाद में इस आधार पर मना कर दिया गया था कि यह वित्तीयरूप से व्यवहार्य परियोजना नहीं हैं। कम्पनी, जिसे धारणीय वित्तीय के आधार पर कुछ माह पहले मना कर दिया गया था, को ऋण के लिए इरेडा के अनुमोदन के लिए कारणों को अभिलेख में नहीं पाया गया था।

इरेडा ओटीएस के माध्यम से ₹ 22.79 करोड़ के कुल प्रप्यो (मूलधन ₹ 1.93 करोड़, ब्याज ₹ 16.76 करोड़ और अन्य प्रभार ₹ 4.10 करोड़ के प्रति केवल ₹ 1.93 करोड़ वसूल कर सका था (सितम्बर 2009)।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2013 से अप्रैल 2014) कि आरम्भिक रूप से ऋण आवेदन को 31 मार्च 1995 को ऋणकर्त्ता कंपनी के कार्यकारी परिणामों के आधार पर निरस्त कर दिया गया था। जिससे ₹ 0.06 करोड़ की हानि हुई। ऋणकर्त्ता कम्पनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थी और तत्पश्चात परियोजना प्रस्ताव पर 30 सितम्बर 1995 को समाप्त छः माह की अवधि के लेखापरीक्षा न किए गए वित्तीय परिणाम के आधार पर विचार किया गया था। जिससे ₹ 1.37 करोड़ का लाभ हुआ।

प्रबंधन ने यह भी कहा कि ओटीएस के लिए ऋणकर्त्ता के प्रस्ताव पर इरेडा के ओटीएस दिशानिर्देशों के संबंध में जांच की गई थी और मंजूरी प्रदान की गई थी क्योंकि प्रस्ताव उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार अनुज्ञेय था। ओटीएस को मंजूरी ने हानि की परिसम्पत्तियों से बकाया मूलधन की वसूली को सुनिश्चित किया। इरेडा ने परियोजना से जो प्रचालन में नही थी, 100 *प्रतिशत* बकाया मूलधन की वसूली की और ऋण को गैर-निष्पादित परिसम्पत्ति (हानि वर्ग) के रूप में वर्गीकृत किया गया था। खाता के एनपीए होने की तारीख अर्थात 31 मार्च 1998 को कुल प्रप्य मूलधन ₹ 1.93 करोड़ और ब्याज ₹ 0.40 करोड़ सहित ₹ 2.33 करोड़ थी जिसके प्रति ₹ 1.93 करोड़ की वसूली की गई थी। परियोजना चालू की गई थी और तमिलनाडु विद्युत बोर्ड से प्राप्त हुए चालू होने के प्रमाण पत्र को कम्पनी द्वारा सांवितरण से पहले प्रस्तुत किया गया था। इसलिए, वैध दस्तावेज के रूप में चालू करने के प्रमाणपत्र जो परियोजना के चालू होने की पुष्टि करता है पर विचार करते हुए निरीक्षण नहीं किया गया था। अन्य कारणों के कारण खाता गैर निष्पादक परिसम्पत्ति बन गया था और अशोध्य ऋण से वसूली सुनिश्चित करने के लिए ओटीएस दिशानिर्देशों के संबंध में ओटीएस मंजूर किया गया था।

लेखापरीक्षा का मत है कि इरेडा का कम्पनी के लिए अपने दिशानिर्देशों से शिथिलता देना जो कि पहले नुकसानदेह था, विवेकपूर्ण निर्णय नहीं था।

4.10.4 मै. सन्दूर मैगंनीज एण्ड आयरन ओर लिमिटेड

इरेडा ने हसन जिला, कर्नाटक में हेमवथी लैफ्ट ब्रॉन्च केनाल स्माल हाइड्रो परियोजना (4x4 एमडब्ल्यू) की स्थापना के लिए मै. सन्दूर मैंगनीज एण्ड आयरन ओर लिमिटेड (एसएमआईओआरई) को ₹ 35 करोड़ के अवधि ऋण की मंजूरी दी (मार्च 1996)। ऋण करार पर मार्च 1997 में हस्ताक्षर किए गए थे। ऋण का पुनर्भुगतान मार्च 2000 से 28 तिमाही किस्तों में किया जाना था। ऋणकर्त्ता को मार्च 1999 तक सात किस्तों में ₹ 31.50 करोड़ का संवितरण किया गया था। परियोजना मार्च 2000 में एनपीए हो गई।

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- इरेडा ने प्रोत्साहक/निदेशकों की वैयक्तिक प्रत्याभूति की स्थिति को छोड़ दिया था और पहले संवितरण से पहले ऋणकर्त्ता के अनुरोध पर प्रत्यक्ष निरीक्षण को भी छोड़ दिया था।

- ऋणकर्त्ता का 1981 से कर्नाटक विद्युत बोर्ड (केईबी) के साथ मुख्य विवाद चल रहा था। कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय में अप्रैल 1988 में ऋणकर्त्ता की रिट याचिका के निराकरण हेतु केईबी की अपील न्यायालय द्वारा जुलाई 1996 में समर्थित है। केईबी ने ₹ 25 करोड़ भुगतान की मांग की जो कम्पनी द्वारा विवादित थी। इसके अलावा, ऋणकर्त्ता कम्पनी को विद्युत प्रभारों के प्रति अविवादित प्रप्यो के रूप में केईबी को ₹ 17 करोड़ की राशि का भुगतान करना पड़ा था (जुलाई1997)। यह तथ्य इरेडा (मार्च 1998) की जानकारी में आये लेकिन इस स्थिति के बावजूद भी कि ऋणकर्त्ता कंपनी संभवतः असक्षम हो गई है, इरेडा ने लोन देना जारी रखा।

- यद्यपि इरेडा का दूसरी निबंधन एवं शर्तों के साथ प्रतिभूतियों पर समरूप अधिकार था फिर भी जनवरी 1999 के कर्नाटक सरकार के ओदश ने ऋणकर्त्ता को निर्देश दिया कि इरेडा द्वारा निधीयन परियोजना द्वारा उत्पादित विद्युत की बिक्री प्राप्तियों का सात वर्षों की अवधि के लिए प्रप्यों के प्रति केईबी को भुगतान किया जाएगा। इसका इरेडा द्वारा विरोध नहीं किया गया था।

- ऋणकर्त्ता कम्पनी के बोर्ड में नामिती निदेशक के होने के बावजूद इरेडा ने कम्पनी की वास्तविक वित्तीय प्रस्थिति सुनिश्चित नहीं की। केवल सनदी लेखाकार के प्रमाणपत्रों और वित्तीय प्रगति को न्यायसंगत ठहराने वाले अन्य दस्तावेजों पर विश्वास करते हुए इरेडा ने ऋणकर्त्ता को ऋण राशि का भुगतान करना जारी रखा।

- इस तथ्य के बावजूद कि ऋणकर्त्ता कम्पनी की निवल सम्पत्ति 50 *प्रतिशत* तक की सीमा तक पहले ही क्षरित हो चुकी है और मामले को सम्भावित रूग्ण कम्पनी की श्रेणी के अन्तर्गत बीआईएफआर को भेजे जाने के बाद भी इरेडा ने ऋण किस्तों का संवितरण जारी रखा। जब परियोजना एनपीए हो गई तब इरेडा के प्राप्य ₹ 38.31 (जून 2002) करोड़ थे।

इरेडा ने अपनी 155 वीं बीओडी बैठक (नवम्बर 2004) में ₹ 32.63 करोड़ पर मै. एसएमआईओआरई के ओटीएस प्रस्ताव के माध्यम से अवधि ऋण के निपटान का अनुमोदन किया और इस प्रकार, इरेडा ₹ 50.19 करोड़ के कुल प्राप्यों के प्रति इस राशि की वसूली कर सका।

प्रबंधन ने बताया (जून 2013) कि परियोजना 1 अक्टूबर 1999 को चालू हो गई थी और इसलिए एक निष्पादन परिसम्पत्ति ऋण की सर्विस के लिए पर्याप्त राजस्व सहित सृजित हो गई थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि यद्यपि इरेडा का दूसरे अवधि उधारदाताओं के साथ प्रतिभूति पर समरूप अधिकार था फिर भी कर्नाटक सरकार के आदेश ने ऋणकर्त्ता को निदेश दिया कि इरेडा द्वारा परियोजना निधियन द्वारा उत्पादित विद्युत की बिक्री प्राप्तियों पर सात वर्षों की अवधि के लिए प्राप्यों के प्रति केईबी को भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार से ऐसे निर्देशों पर न तो ऋणकर्त्ता का और न ही इरेडा का कोई नियंत्रण था।

प्रबंधन ने इसके अतिरिक्त कहा कि परियोजना के कार्यान्वयन चरण के दौरान जब इरेडा ने संवितरण का पहले ही भुगतान कर दिया था तब कम्पनी की निवल सम्पत्ति 50 *प्रतिशत* तक क्षरित हुई थी और इसे सम्भावित रूग्ण कम्पनी के रूप में बीआईएफआर को भेज दिया गया था। परियोजना तकनीकी रूप से निष्पादक परिसम्पत्ति थी लेकिन ऋणकर्त्ता के नियंत्रण से बाहर के दूसरे कारकों के कारण खाता एनपीए हो गया था।

तथापि, तथ्य यह रह जाता है कि इरेडा को केईबी के प्रति ऋणकर्त्ता के विवाद और देयताओं की जानकारी थी और इसने पहले संवितरण से पहले ऋणकर्त्ता के कहने पर सहायकों/निदेशकों की वैयक्तिक प्रत्याभूति की स्थिति और प्रत्यक्ष निरीक्षण को माफ कर दिया था। नामित निदेशक ऋणकर्त्ता कम्पनी की वास्तविक वित्तीय स्थिति का निर्धारण करने में विफल रहा।

4.10.5 मै. बीवीवी पेपर इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड

इरेडा ने मै. बीवीवी पेपर इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को (जून 1995) पर्याप्त उद्यम के बिना कोयम्बेतूर में स्वयं के द्वारा आयोजित पवन उर्जा पर एक कारोबार बैठक मे में उपस्कर वित्तपोषण योजना के अन्तर्गत तमिलनाडु में स्थापित की जाने वाली 0.25 एमडब्ल्यू विंड फार्म परियोजना के लिए ₹ 0.72 करोड़ का ऋण मंजूर किया। इरेडा ने पहली किस्त (ऋण राशि का 50 *प्रतिशत*) के रूप में ₹ 0.36 करोड़ की राशि का संवितरण किया। परियोजना को सितम्बर 1995 में चालू किया गया था।

अभिलेखों की संवीक्षा से लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- इरेडा ने उपस्कर लागत के 90 *प्रतिशत* का वित्तपोषण किया जोकि 75 *प्रतिशत* के निर्धारण करने वाले वित्तीय दिशानिर्देशो का उल्लंघन करता है।

- ऋण की बैंक प्रत्याभूति (10 *प्रतिशत*) ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में प्राप्त नही की गई थी, यद्यपि वित्तीय दिशानिर्देशों के अनुसार यह अपेक्षित है।

- प्रत्याभूतिदाताओं के वास्तविक निवल धन का इरेडा द्वारा प्रत्याभूति के समय पर निर्धारण नहीं किया गया था।

- कम्पनी ने ऋण की वसूली में विफल होने के बावजूद ऋणकर्त्ता और प्रत्याभूतिदाताओं की परिसम्पत्तियों पर कब्जा नहीं किया था।

इरेडा ने ऋणकर्त्ता के अनुरोध पर ऋण का पुनर्निधारण किया लेकिन ऋणकर्त्ता ने भुगतान नही किया और अन्ततः बीआईएफआर में चला गया। ऋणकर्त्ता ने दिसम्बर 2000 में इरेडा को एक ओटीएस निपटान प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

इरेडा ने ₹ 4.24 करोड़ में से ₹ 0.40 करोड़ प्राप्त करके उपरोक्त ऋण के ओटीएस को अन्तिम रूप दिया (अगस्त 2008) जिसके परिणामस्वरूप मूलधन राशि के संबंध में ₹ 0.25 करोड़ और ब्याज तथा अन्य प्रभारों कें संबंध में ₹ 3.59 करोड़ का वित्तीय घाटा हुआ।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2013) कि ऋण को कारबार बैठक में मंजूर किया गया था और वहां मूल्यांकन स्वयं किया गया था। इरेडा ने ₹ 0.80 करोड़ की उपयुक्त उपस्कर लागत का अनुमान लगाया था इसके बाद प्रचलित प्रतिमानों के अनुसार उपयुक्त उपस्कर लागत के 90 *प्रतिशत* के रूप में ₹ 0.72 करोड़ की ऋण राशि पर विचार किया गया तथा उक्त को कम्पनी को मंजूर कर दिया गया था। राशि का मंजूरी की शर्तों के अनुसार संवितरण किया गया था।

तथापि, उचित परिश्रमिता हेतु अपने उत्तर के समर्थन में प्रबंधन द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था। तथ्य यह रह जाता है कि कई चूकों के कारण इरेडा को उपरोक्त ऋण के मामले में ₹ 3.84 करोड़ की वित्तीय हानि का वहन करना पड़ा।

4.11 ओटीएस मामलों में देखी गई कमियों का सार

ओटीएस मामलों की लेखापरीक्षा जाँच के आधार पर चूक का कारण बने मामलों की पहचान निम्नानुसार की गई थी:-

- स्वैच्छिक चूककर्त्ताओं को ओटीएस की अनुमति देना
- संवितरण से पहले परियोजनाओं की प्रगति का प्रत्यक्ष सत्यापन और पर्याप्त मॉनिटरिंग न करना
- विभिन्न परियोजनाओं में समान सहायक/निदेशक की वैयक्तिक प्रत्याभूति को स्वीकार करना
- संवितरण का भुगतान करते समय निर्धारित सीमा से आगे बढ़ना
- ऋणकर्त्ता की वित्तीय स्थिति की अपर्याप्त मॉनिटरिंग
- टीआरए में बिक्री राजस्व के जमा करने के संबंध में अनुपालन की अपर्याप्त मॉनिटरिंग;
- अपने स्वयं के ऋणों की सुरक्षा के लिए अपेक्षित बैंक प्रतिभूतियों के लिए वित्तपोषण; और
- वित्तपोषण दिशानिर्देश सह वित्तपोषित परियोनाओं के लिए प्रतिमानों के शिथिल करने के बारे में मौन थे।

उपरोक्त अभ्युक्तियाँ, जो एनपीए मामलों की कड़ाई मॉनिटरिंग की आवश्यकता को दर्शाती है, के मद्देनजर लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि:

सिफारिश संख्या 6

गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के स्तर को कम करने के लिये बकाया ऋणों की अच्छी तरह से निगरानी की जानी चाहिये।

प्रबंधन ने यह कहते हुए सिफारिश को आशिंक रूप से स्वीकार किया कि यह पहले ही किया जा रहा था। एक प्रथक वसूली यूनिट की स्थापना की गई है।